"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 514] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2015—— कार्तिक 7, शक 1937

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

आदेश

क्रमांक 10063/3300/21-ब (एक)/छ.ग./2015. —— राज्य शासन, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को वर्ष 2016 में अधिवार्षिकी आयु, 60 वर्ष, पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ क्रमांक 4 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की, एतद्द्वारा, स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्रमांक (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति का दिनांक (4)
01	श्री प्रदीप कुमार दवे	04-07-1956	31-07-2016
02	श्रीमती अनुराधा खरे	31-10-1956	31-10-2016
03	श्री मकरध्वज जगदल्ला	04-03-1956	31-03-2016
04	श्री बीरसिंह सलाम	29-06-1956	30-06-2016
05	श्री उमाशंकर मिश्रा	19-09-1956	30-09-2016

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.